संख्या-186/2026/आई/1275384/23-1-26/003-23-1002(002)/257/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 21 मार्च, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 19 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 19 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 23,22,51,000/- (रूपये तेईस करोड़ बाईस लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	19902/CE-HQ1/RSN5054/GKP/2025-26	10-03-2026
2	20017/CE-HQ1/RSN5054/GKP/2025-26	14-03-2026
3	20131/CE-HQ1/RSN5054/GKP/2025-26	18-03-2026
4	20213/CE-HQ1/RSN5054/GKP/2025-26	19-03-2026
5	20264/CE-HQ1/RSN5054/GKP/2025-26	20-03-2026

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में उरूवा दुधरा पिपरी मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी 1	642/2025/आई/1162149/23-1-25/001-23-10021(002)/248/20	3620.50 3620.50 3577.34 563.32 3057.18	356.36	2700.82	400.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		से 11 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	25-दिनांक-03-12-2025				
2	नि.ख. देवरिया	मुसैला से भागलपुर मार्ग के किमी 17.00 से 22.500 तक (अजिमा) का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	24/2021/1002 रासनि/23-1-20-235 रासनि/16-दिनांक-21-01-2021	1046.02 1046.02 839.55 24.45 1021.57	995.93	25.64	10.26
3	नि.ख. कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में हाटा पगरा रामनगर सोहसा टेकुआटार मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	747 /2024/आई/835991 /23-1-24/ 001-23-1002(002)/156/2024 -दिनांक-28-12-2024	2654.96 2654.96 2059.61 46.37 2608.59	1654.18	954.41	200.00
4	नि.ख. कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में पडरौना से बाल्मीकीनगर बैराज अन्तर्राष्ट्रीय सीमा मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	169 /2025/आई/918924 /23-1-25/001-23-1002(002)/68/2025 -दिनांक-27-03-2025	2840.83 2839.62 2137.45 88.79 2750.83	1396.79	1354.04	240.00
5	नि.ख. कुशीनगर	कप्तानगंज झांगा (अ0जि0मा0) के किमी 5 से ग्राम सभा खभराभार कचेहरी टोला (कप्तानगंज सिकटा खभराभार राजमंदिर मार्ग के चैनेज (0.000 से 1.200 तक) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	249/2025/आई/978343/23-1-25/001-23-1002(002)/97/2025-दिनांक-30-05-2025	207.48 207.48 112.33 10.89 196.59	150.63	45.96	12.00
6	प्रा.ख. कुशीनगर	पडरौना मंसाछापर बलकुडिया पिपरा मार्ग के शेष भाग में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1025 /2023/आई/426064 /23-1-23/001-23-1002/188/2023 दिनांक -दिनांक-10-11-2023	2239.94 2228.43 1269.98 324.49 1903.94	1499.53	404.41	157.16
7	प्रा.ख. कुशीनगर	टेकुआटार रगड़गंज मथौली (अ0जि0मा0) मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1032 /2023 /आई /430543 /23-1-23/001-23-1002(002)/206 /2023 -दिनांक-21-11-2023	2468.24 2468.24 1443.00 416.88 2051.36	1487.32	564.04	225.62
8	प्रा.ख. कुशीनगर	किन्नर पट्टी बलकुड़िया मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	743 /2024/आई/835981 /23-1-24/ 001-23-1002(002)/201/2024 -दिनांक-28-12-2024	1540.19 1516.08 1113.67 43.64 1472.44	880.44	592.00	153.10
9	प्रा.ख. गोरखपुर	महादेवा दुघरा सोपरा मार्ग (अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	70/2024/आई/507070/23-1-24/002-23-1002(002)/28/2023-दिनांक-28-02-2024	3556.09 3556.09 1872.78 772.17 2783.92	1393.56	1390.36	80.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
10	प्रा.ख. गोरखपुर	उरूवा धुरियापार शाहपुर बेलघाट मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	269 /2024 /आई /693973/23-1-24/001-23-1002(002)/132/2024, 660 /2024/आई/808748 /23-1-24/23-1002(002)/268/2023 दि0 28.11.24 द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति।-दिनांक-17-07-2024	5768.54 5518.23 3071.58 2119.79 3398.44	2685.87	712.57	120.00
11	प्रा.ख. गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में शंकरपुर कम्हरियाघाट मार्ग (अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	63 /2025/आई/864922 /23-1-25/002-23-11099(002)/168/2024 -दिनांक-29-01-2025	1723.06 1723.06 792.56 188.29 1534.77	955.95	578.82	140.00
12	प्रा.ख. कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में पडरौना कुबेरस्थान तुर्कपट्टी समऊर मार्ग (प्र0जि0मा0-161 ई) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	226 /2023/107 रासनि /23-1-23/002-67 आरएसएन/2022 दि 23.02.2023-दिनांक-23-02-2023	2388.23 2388.23 1177.44 389.17 1999.06	1488.36	510.70	204.28
13	प्रा.ख. महराजगंज	जनपद महाराजगंज में वित्तीय वर्ष 2022-23 कम्पार्ट संख्या-24 के पास से वनटांगिया ग्राम हथियहवां तक वन्य क्षेत्र तक सम्पर्क मार्ग में इण्टरलांकिग लगाने का कार्य।	83 /2023/1476 रासनि/23-1-22/001-67 आरएसएन/2022 दि 13.01.2023-दिनांक-13-01-2023	284.29 284.29 188.57 53.02 231.27	28.42	202.85	76.52
14	प्रा.ख. महराजगंज	जनपद महाराजगंज में वित्तीय वर्ष 2022-23 वनटांगिया ग्राम चेतरा नर्सरी वन्य क्षेत्र तक सम्पर्क मार्ग में इण्टरलांकिग लगाने का कार्य।	83 /2023/1476 रासनि/23-1-22/001-67 आरएसएन/2022 दि 13.01.2023-दिनांक-13-01-2023	282.80 282.80 184.81 59.99 222.81	28.28	194.53	73.36
15	नि.ख. कुशीनगर	घुघली कोटवा कि0मी0-10 से अथरडीहा सिसवनिया मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	743 /2024/आई/835981 /23-1-24/ 001-23-1002(002)/201/2024 -दिनांक-28-12-2024	1334.90 1334.90 1035.13 27.96 1306.94	1155.59	151.35	20.80
16	प्रा.ख. देवरिया	भरथुआ भटनी भिंगारी मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	84 रासनि /23-1-18-35 रासनि/18 दिनंाक 15.2.2019-दिनांक-15-02-2019	4341.00 4341.00 3410.33 0.01 4340.99	4047.39	293.60	99.44

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
17	नि.ख. महराजगंज	वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत लक्ष्मीपुर रेंज के राजस्व ग्राम बेलौहादर्रा (वनटांगिया ग्राम) से कांधपुर दर्रा (वनटांगिया ग्राम) तक इण्टरलांकिग मार्ग का निर्माण कार्य।	83 /2023/1476 रासनि/23-1-22/001-67 आरएसएन/2022 दि 13.01.2023-दिनांक-13-01-2023	136.94 136.94 86.96 21.04 115.90	95.86	20.04	8.02
18	नि.ख. महराजगंज	वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद महाराजगंज में विधानसभा क्षेत्र फरेन्दा, ब्लाक बृजमनगंज के अन्तर्गत (वनटांगिया ग्राम) खुर्रमपुर को जोड़ने हेतु इण्टरलांकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	211 /2022/214 रासनि /23-1-23/67 आरएसएन/2022-दिनांक-16-02-2023	176.37 176.37 141.28 4.88 171.49	139.67	31.82	12.73
19	नि.ख. महराजगंज	वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत लक्ष्मीपुर रेंज के राजस्व ग्राम अचलगढ़ (वनटांगिया ग्राम) एवं तिनकोनिया (वनटांगिया ग्राम) को पी0डब्लू0डी0 मार्ग से जोड़ने हेतु इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	215 /2023/1561 रासनि /23-1-23/001-07 आरएसएन/2023 टीसी दि 18.02.2023-दिनांक-18-02-2023	599.25 599.25 404.81 76.54 522.71	299.65	223.06	89.22
						कुल योग-	2322.51

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 23,22,51,000/- (रूपये तेईस करोड़ बाईस लाख इक्यावन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-186/2026/आई/1275384(1)/23-1-26/003-23-1002(002)/257/2025, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।